FROM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम डूंगला जिला चित्तौड़गढ़

....बनाम ....

किस्म मुकदमा..................................नं. ....सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख की तामील में जारी हुए
12/7/17	प्रार्थी श्री नारायणलाल पिता मगना मेघवाल निवासी मंगलवाड़ ने प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज रिकॉर्ड के प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मौजा मंगलवाड़ में स्थित निजी खातेदारी आराजी सं. 4131/19 रकबा 0.3500 है0 लगान 1.62 रूपया स्थित थी, जिसमें से 0.1705 है0 यानि कि 1705 वर्गमीटर भूमि को तहसीलदार डूंगला द्वारा आदेश क्रमांक/राजस्व/भू0अ0/ 10/16–17/539–42 (बी0) दिनांक 30.06.2016 के द्वारा कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की स्वीकृति जारी की गई। तथा स्वीकृति आदेश के साथ ही प्रस्तावित नक्शा ड्रेस को भी प्रमाणित कर जारी किया गया। जो सही व स्पष्ट था, किन्तु सहवन से संवरिवर्तन आदेश के आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते समय नक्शा में तरमीम प्रस्तावति आबादी भूमि करनी थी, किन्तु इसके बजाय शेष भूमि जो की कृषि की है तरमीम कर दी गई है जिसको दुरस्त कर प्रस्तावित ब्ल्यू प्रिंट व नक्शा ड्रेस मे प्रस्तावित के अनुसार तरमीम शुद्वि की स्वीकृति चाही गई है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार डूंगला से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डूंगला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि मौजा मंगलवाड़ की आ0नं0 4131/19 रकबा 0.3500 है0 भूमि में से 1705 वर्गफीट भूमि कृषि से अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने से नामान्तरण सं. 4218 दिनांक 04.08.17 से राजस्व से नवीन आराजी नम्बर 4341/19 रकबा 0.1705 है0 भूमि आबादी दर्ज हुआ तथा नवीन आराजी नम्बर 4342/19 रकबा 0.0445 है0 भूमि बिलानाम रास्ता दर्ज हुई है। तथा शेष भूमि आ0न0 4131/19 रकबा 0.1350 है0 भूमि कृषि प्रयोजनार्थ खातेदारी में प्रार्थी की शेष रही है। आबादी प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु प्रस्तावित की गई भूमि आराजी नम्बर 4131/19 रकबा 0.3500 है0 भूमि में से नंगावली से मंगलवाड़ जाने वाली सड़क मार्ग के मध्य 58 मीटर की दूरी पर पश्चिम दिशा पर 31 मीटर चौड़ाई एवं 55 मीटर लम्बाई में भूमि आबादी हेतु क्षेत्रफल 0.1705 है0 (1705 वर्गमीटर) हेतु संपरिवर्तन हेतु चाही गई तथा उसके पश्चिम दिशा में शेष रकबा 0.1350 है0 कृषि प्रयोजनार्थ शेष रहना दर्शाया गया है। जबकि संपरिवर्तन हेतु पटवारी हल्का द्वारा सहवन से प्रस्तावित नक्शा में भूमि 4131/19 के पश्चिम दिशा में नक्शा मे अंकन किया गया। वह भूमि वर्तमान समय में कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है। सड़क के मध्य से 58 मीटर दूरी पर 31 मीटर चौड़ाई एवं 55 मीटर लम्बाई वाली भूमि आबादी प्रयोजनार्थ उपयोग में आ रही है। आबादी हेतु प्रयोग में आ रही भूमि ब्ल्यू प्रिंट में दर्शायी अनुसार है। जबकि राजस्व नक्शा में तरमीम आराजी नं0 4131/19 के पश्चिम दिशा पर की गई, जो संपरिवर्तन के ब्ल्यू प्रिंट अनुसार नही है। तथा संपरिवर्तन आदेश एवं ब्ल्यू प्रिंट नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा में शुद्वि किये जाने की अनुशंषा की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार डूंगला से प्राप्त रिपोर्ट राजस्व रेकार्ड का अवलोकन कर परीक्षण किया गया बाद परीक्षण प्रार्थना पत्र राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् निस्तारण हेतु सही पाया गया है। अतः ग्राम मंगलवाड के आराजी नम्बर 4131/19 रकबा 0.3500 है0 में से 0.1705 है0 भूमि संपरिवर्तन की गई है, संपरिवर्तन भूमि के क्षेत्रफल का पूर्व में सहवन से गलत की गई तरमीम को निरस्त करते हुए प्रस्तावित संपरिवर्तित भूमि को ब्ल्यू प्रिंट नक्शानुसार राजस्व नक्शों में शुद्व किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी	

Scanned by CamScanner